रजिस्टर्ड नं० पी०/एस० एम० 14.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 5 नवम्बर, 1988/14 कार्तिक, 1910

हिमाचल प्रदेश सरकार

गृह विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 30 जुलाई, 1987

संख्या गृह (ए)-एफ० (13)-3/77.—यत: केन्द्रीय सरकार ने केन्द्र के प्रयोजन हेतु भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का अधिनियम संख्या 1) के अधीन भू-अर्जन कार्य राज्य सरकार को भारत सरकार के कृषि एवं ग्रामीण विकास मन्त्रालय द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 258 के खण्ड (1) के अधीन जारी की गई अधिसूचना संख्या का० आ०-782 (अ), दिनांक 20-10-1985 द्वारा सुपुर्द किये हैं।

और यत: राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि भूमि का केन्द्रीय सरकार अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत: मोहाल ग्रैह, मौजा धर्मशाला, तहसील व जिला कांगड़ा में प्रतिरक्षा विभाग के लिये प्रतिरक्षा के प्रयोग हेतु भूमि अर्जित करना अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में विनिर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इस से सम्बन्धित हो सकते हैं की जानकारी हेतु भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों, उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भूमि में प्रवेश करन और सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित या अनुमत अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

कोई ऐसा हितबद्ध व्यक्ति, जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, धर्मशाला, जिला कांगड़ा के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है ।

विस्तृत विवरणी

जिला : कांगड़ा तहसील : कांगड़ा

ग्राम	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल (हैक्टेरों में)		
1	2	3	4	5
मौजा धर्मशाला				
मोहाल ब्राह्	1303/2	0	13	58
	1304	0	01	68
	1319	0	01	20
	1324	0	00	12
	1325	0	00	82
	1326	0	02	42
	1327	0	00	33
	1329	0	73	17
	योग ..	0	93	32
	24 कनाल 6 मरला या 2.30 एकड़।			
	1301	0	00	64
	1302	0	00	48
	1303	0	02	98
	1305	0	02	78
	1306	0	00	60
	1307	0	00	30
	1308	0	00	68
	1309	0	00	04
	1310	0	00	81
	1311	0	00	88
	1312	0	00	14
	1313	0	00	18
	1314	0	00	36
	1315	0	00	14
	1316	— 0	01	72
	1317	0	01	38

1	2	3	4	5
	1318	0	01	84
	1320	0	00	25
	1321	0	02	16
	1329/1	0	03	89
	1329/2	0	05	47
	योग ..	0	27	72
	7 कनाल 5 मरला या 0-69 एकड़			
	महा योग :	2.99 एकड़		

आदेश द्वारा,
कंवर शमशेर सिंह,
आयुक्त एवं सचिव ।

उद्यान विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 6 फरवरी, 1988

संख्या उद्यान-क(3) 4/81-II.—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की सहमति से हिमाचल प्रदेश उद्यान विभाग में वरिष्ठ पौध संरक्षण अधिकारी श्रेणी-I (राजपत्रित) वेतनमान 1200—1850 रुपये पद के लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियम, जो इस विभाग की अधिसूचना सं0 उद्यान-क (3) 4/81-II, दिनांक 3-9-87 द्वारा अधिसूचित किए गए थे, को निष्प्रभावित करते हुए इस अधिसूचना में संलग्न (अनुबन्ध-VIII) के अनुसार वरिष्ठ पौध संरक्षण अधिकारी वर्ग प्रथम (राजपत्रित) के भर्ती एवं पदोन्नति नियम सहर्ष बनाते हैं ।

राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इसके आगे इस विभाग द्वारा इस पद के लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियम अधिसूचना सं0 25-5/69-होर्ट (सैक्ट), दिनांक 19-12-71 तथा समय-समय पर इन नियमों में किए गए संशोधन को निरसन करने की सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं **बशर्ते कि** यह निरसन पहले बनाए गए भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के अन्तर्गत हुई कार्यवाही पर असर नहीं डालेगा या उन नियमों के अन्तर्गत की गई कार्यवाही उन नियमों के अनुसार मान्य होगी ।

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) यह नियम हिमाचल प्रदेश उद्यान विभाग के वर्ग प्रथम (राजपत्रित) सेवाएं नियम, 1988 कहलायेंगे ।

(2) यह नियम हिमाचल प्रदेश सरकार के राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होंगे ।

अनुबन्ध-VIII

हिमाचल प्रदेश सरकार, उद्यान विभाग में श्रेणी-I (राजपत्रित) सेवाएं नियम, 1988

1. पद का नाम	वरिष्ठ पौध संरक्षण अधिकारी
2. पद की संख्या	दो
3. वर्गीकरण	श्रेणी-I (राजपत्रित)

4. वेतनमान	रुपये 1200—1850
5. क्या पद प्रवरण अथवा अप्रवरण है	प्रवरण
6 सीधी भर्ती के लिये आयु सीमा	45 वर्ष तथा इस से कम : आगे उपबन्धित है कि सीधी भर्ती के लिये अधिकतम आयु सीमा उन उम्मीदवारों पर लाग नहीं होगी जो पहले ही तदर्थ या अनुबन्ध के आधार पर सरकारी सेवा में कार्यरत हों : आगे उपबन्धित है कि तदर्थ या अनुबन्ध के आधार पर नियुक्त उम्मीदवार यदि नियुक्ति तिथि की अधिकतम आयु सीमा पार कर गया हो, तो उसे निर्धारित आयु सीमा में उस आधार पर छूट नहीं दी जायेगी: आगे उपबन्धित है कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों के उम्मीदवारों तथा अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिये उच्चतम आयु सीमा में देय छूट उतनी है, जितनी हिमाचल प्रदेश सरकार के सामान्य अथवा विशेष आदेशों के अन्तर्गत अनुमत है : आगे उपबन्धित है कि सार्वजनिक क्षेत्र में निगमों तथा स्वायत निकायों के लिए सभी कर्मचारियों को जो इन सार्वजनिक क्षेत्र के निगमों तथा स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय इनमें अन्तर्लीत होने से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, को भी सरकारी कर्मचारियों की भांति सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा में छूट होगी । इस प्रकार की छूट सार्वजनिक क्षेत्र के निगमों तथा स्वायत निकायों के उन कर्मचारियों को उपलब्ध नहीं होगी जो उक्त निगमों/स्वायत निकायों द्वारा बाद में भर्ती किये गये थे/हों, और इन सार्वजनिक क्षेत्र के निगमों/स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के बाद अन्तिम रूप से इन निगमों/स्वायत निकायों में अन्तर्लीत हो गये हों । टिप्पणी-1.—सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा, आयोग द्वारा आवेदन-पत्र प्राप्त करने के लिए निश्चित अन्तिम तिथि को गिनी जायगी । 2. सीधी भर्ती की स्थितियों में अन्यथा विशिष्ट योग्यता प्राप्त उम्मीदवार के लिये आय सीमा तथा अनुभव से सम्बन्धित योग्यताओं में आयोग के विवेकानुसार छूट देय होगी ।
7. सीधी भर्ती के लिये कम से कम शक्षणिक योग्यता तथा अनिवार्य अन्य आवश्यक योग्यतायें।	**अनिवार्य :** (1) कृषि/उद्यान में स्नातकोत्तर उपाधि, कीट विज्ञान/पौध व्याधिकी में विशेषज्ञता सहित या समकक्ष । (2) उद्यान उपज के अन्तर्गत पहाड़ी परिस्थितियों में कम से कम 5 वर्ष का पौध संरक्षण कार्यों में अनुभव । **वांछनीय :** (1) कीट विज्ञान/पौध व्याधिकी में पी० एच० डी० । (2) पौध संरक्षण यन्त्रों एवं उपकरणों क रख-रखाव का ज्ञान और कीट नियंत्रण की आधुनिकतम विधियों से परिचित ।

	(3) हिमाचल प्रदेश के रीति-रिवाजों, भाषा और संस्कृति का ज्ञान तथा प्रदेश की विशेष परिस्थितियों में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता ।
8. क्या आयु व शैक्षणिक योग्यता जिसका वर्णन सीधी भर्ती के लिये किया गया है, पदोन्नति के लिये भी लागू होगी ?	आयु : नहीं । शैक्षणिक योग्यता : नहीं।
9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि जिसका कि सक्षम प्राधिकारी के लिखित आदेश द्वारा विशेष परिस्थितियों में अधिकतम केवल एक वर्ष तक बढाया जा सकता है ।
10. भर्ती की प्रणाली, क्या सीधी अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न ढंगों द्वारा रिक्त स्थानों को भरने की प्रतिशतता।	50 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा और 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ।
11. पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती के मामले पर वह वेतनमान जिसमें से पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाना है ।	मौन पालन विकास अधिकारी/पौधशाला निरीक्षण एवं प्रमाणीकरण अधिकारी/पौध व्याधिकी/(कीट विज्ञान)/पौध संरक्षण अधिकारी/सहायक विषाणु व्याधिकी विज्ञ में पदोन्नति द्वारा और इस वेतनमान में कम से कम तीन वर्ष की नियमित सेवा सहित तथा नियमित नियुक्ति के यदि कोई 31-12-83 तक अपेक्षित पद पर तदर्थ सेवा की गई हो तो पदोन्नति के लिये निर्धारित कार्यकाल अवधि में ऐसी सेवा की अवधि को गिना जायेगा । टिप्पणी.—पदोन्नति के लिए नियमित सेवा काल के आधार पर पात्र अधिकारियों की संयुक्त वरिष्ठता सूची तैयार की जायेगी (नियमित नियुक्ति के पूर्व यदि कोई 31-12-83 तक अपेक्षित पद पर तदर्थ सेवा की हो तो पदोन्नति के लिए निर्धारित कार्यकाल अवधि के लिए सेवा की अवधि को गिना जायेगा) वेतनमान में अन्तः वरिष्ठता को नहीं छोड़ा जायेगा । टिप्पणी 1.—पदोन्नति के सभी मामलों में नियमित नियुक्ति से पूर्व यदि कोई 31-12-83 तक अपेक्षित पद पर तदर्थ सेवा की गई हो तो पदोन्नति के लिये निर्धारित कार्यकाल अवधि में ऐसी सेवा की अवधि को गिना जायेगा जैसा कि नियमों में निर्धारित है बशर्ते कि:— (क) उपरोक्त शर्तों को मध्यनजर रखते हुये सभी मामलों पर जो सेवा की एक कनिष्ठ प्रत्याशी 31-12-83 तक की गई तदर्थ सेवा को मिला कर पर पदोन्नति के लिये योग्य हो जाता है तो वह सभी प्रत्याशी जो तत्सम्बन्धी वर्ग-सवर्ग में इससे वरिष्ठ होंगे वह सभी विचारणीय होंगे तथा कनिष्ठ प्रत्याशी से वरिष्ठ समझ जावेंगे : उपबन्धित है कि वे सभी प्रत्याशी जो पदोन्नति हेतु विचाराधीन हों वे कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम सरकारी सेवा अवधि या भर्ती एवम पदोन्नति नियमानुसार जो भी निर्धारित सेवा की

अवधि हो, दोनों में से जो भी कम हो, रखते हों :

आगे उपबन्धित है कि यदि कोई कर्मचारी/प्रत्याशी पदोन्नति के लिये उपरोक्त उपबन्धों के अनुसार अनुपयुक्त/अयोग्य पाया जाता है तो ऐसी परिस्थिति में उससे कनिष्ठ प्रत्याशी भी पदोन्नति के लिये अयोग्य समझे जायेंगे ।

(ख) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों के लिये भी 31-12-83 तक की गई तदर्थ सेवा नियमित नियुक्ति से पहले यदि कोई हो तो ऐसी सेवा को कार्यकाल अवधि में जोड़ा जायेगा :

उपबन्धित है कि इस प्रकार तदर्थ सेवा सम्मिलित कर के स्थायीकरण करने पर भी परस्पर वरिष्ठता में परिवर्तन न आने पाये ।

(ग) 31-12-83 के उपरान्त की गई तदर्थ सेवा को स्थायीकरण या पदोन्नति के लिये नहीं गिना जायेगा ।

टिप्पणी-2.—जब कभी नियम 2 के अधीन पदों की संख्या में वृद्धि की जाती है तो सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से नियम 10 तथा 11 के उपबन्धों में संशोधन किये जायेंगे ।

12. यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना क्या है ?

पदोन्नति समिति की अध्यक्षता हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या उनके द्वारा मनोनीत सदस्य द्वारा की जायेगी ।

13. परिस्थितियां जिसमे भर्ती के लिये हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जायेगा ।

जैसा कि विधि के अधीन अपेक्षित है ।

14 सीधी भर्ती के लिये आवश्यक योग्यतायें

उपर्युक्त या पद सेवा के लिये उम्मीदवार का निम्नलिखित का होना आवश्यक है :—

(क) भारतीय नागरिक, या

(ख) नेपाल की प्रजा, या

(ग) भूटान की प्रजा, या

(घ) विस्थापित तिब्बती जोकि 1 जनवरी, 1962 से पूर्व भारत में स्थायी निवास के उद्देश्य से आया हो, या

(ङ) भारतीय मूल का व्यक्ति, जो पाकिस्तान, वर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीका, कीनिया, युगांडा, सयुक्त गणतन्त्र तंजानिया (इससे पूर्व तांगानिका और जंजीबार), जांबिया, मालावी, जेयरे तथा इथोपिया से भारत में स्थायी रूप से रहने के उद्देश्य से आया हो :

उपबन्धित है कि वर्ग (ख), (ग), (घ) और (ङ) में सम्बन्धित वही प्रत्याशी माना जायेगा जिसको भारत सरकार/राज्य सरकार से पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया हो, प्रत्याशी माना जायेगा जिसके बारे में पात्रता का प्रमाण-पत्र अनिवार्य हो, को भी हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा आयोजित साक्षात्कार या किसी परीक्षा में बैठने की आज्ञा दी जा सकती है परन्तु उसे नियुक्ति का प्रस्ताव भारत सरकार/हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा पात्रता का आवश्यक प्रमाण-पत्र मिलने के बाद ही दिया जायेगा ।

15. सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति हेतु चयन

सीधी भर्ती की स्थिति में इन पदों हेतु नियुक्ति के लिये चयन मौखिक परीक्षा के आधार पर यदि आयोग/भर्ती प्राधिकारी उचित समझे तो लिखित परीक्षा अथवा व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जायेगा जिसका स्तर/पाठ्यक्रम इत्यादि आयोग/भर्ती प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया जायेगा ।

16. आरक्षण

उक्त सेवा में नियुक्ति अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों/पिछड़े वर्गों के अन्तर्गत चयनित परिवारों इत्यादि के लिये सेवाओं में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आरक्षण सम्बन्धी आदेशों के अधीन होगी ।

17. शिथिल करने की शक्ति

जहां पर प्रदेश सरकार का यह मत हो कि यह करना जरूरी है या इसे इस तरह से करना है तो इसके कारणों को अंकित करके हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से लिखित आदेश प्राप्त करके किसी श्रेणी, वर्ग, व्यक्तियों या पद के नियमों के किसी भी प्रावधान में छूट दी जा सकती है ।

18. विभागीय परीक्षा

(1) सेवा के प्रत्येक सदस्य को विभागीय परीक्षा नियम के अन्तर्गत परिवीक्षा अवधि या इन नियमों की अधिसूचना के दो वर्ष के भीतर जो भी बाद में हो, विभागीय परीक्षा को पास करना होगा, अन्यथा वह निम्नलिखित का पात्र नहीं होगा:—

(क) आगामी देय दक्षतारोध पार करने के लिए,
(ख) सेवा में स्थाईकरण,
(ग) आगामी उच्च पद में पदोन्नति :

उपबन्धित है कि यदि एक सदस्य उपर्युक्त अवधि के भीतर पदोन्नति के लिए अन्यथा पात्र बन जाता है, उस की पदोन्नति के लिए विचार अन्यथा किया जाएगा और यदि अन्यथा उपयुक्त पाया जाए, इस विभागीय परीक्षा को पास करने की शर्त पर अस्थायी पदोन्नत कर दिया जाएगा। यदि वह इसे पास करने में असफल रहता है तो उसे पदावनत किया जा सकता है :

आगे यह भी उपबन्धित है कि अधिकारी जिसने विभागीय परीक्षा को इन नियमों की अधिसूचना से पहले किन्हीं अन्य नियमों के अधीन पूरी या आंशिक रूप से पास कर लिया है, इसे पूरी या आंशिक परीक्षा, कुछ भी स्थिति हो, पास करनी अपेक्षित नहीं होगी :

आगे उपबन्धित है कि यदि किसी अधिकारी के लिए इन नियमों के अधिसूचित होने से पहले कोई विभागीय परीक्षा निर्धारित नहीं थी और वह अधिकारी 1 मार्च, 1976 को 45 वर्ष की आयु पार कर चुका हो तो उसे नियमों के अधीन निर्धारित विभागीय परीक्षा पास करनी आवश्यक नहीं होगी ।

(2) किसी अधिकारी को उसकी सीधे पदोन्नति लाइन के किसी उच्च पद में पदोन्नति होने के उपरान्त उपर्युक्त परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी, यदि उसने पहले ही इससे निचले राजपत्रित पद पर उक्त परीक्षा पास कर ली हो ।

(3) सरकार हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से विशेष परिस्थितियों में और लिखित रूप में इसके कारण रिकार्ड करके विभागीय परीक्षा नियमों के अनुसार व्यक्तियों को किसी भी श्रेणी में या वर्ग को विभागीय परीक्षा में पूर्ण अथवा आंशिक छूट दे सकती है ।

एस0 एम0 कंवर,
कृषि उत्पादन आयुक्त एवं सचिव ।

नियन्त्रक मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।